तारीख: 18 जुलाई, 2025

गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान वार्षिक रिपोर्ट की प्रस्तुति की स्थिति का विश्लेषण

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स

प्लॉट नंबर ई-5, चौथी मंज़िल, लेन-1, वेस्टएंड मार्ग, सैयदुलाजाब,
(साकेत मेट्रो गेट नंबर 2 के पीछे) नई दिल्ली - 110030
ईमेल: adr@adrindia.org; फोन: 011-4165 4200

गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान वार्षिक रिपोर्ट की प्रस्तुति की स्थिति का विश्लेषण

परिचय

भारत की बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया और देश की राजनीतिक दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मार्च 2024 तक भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा 6 राष्ट्रीय दल, 60 राज्य स्तरीय दल और लगभग 2,764 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (RUPPs) पंजीकृत किए गए हैं। राजनीतिक दलों को दो श्रेणियों में बांटा गया है मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। कोई भी राजनीतिक दल तभी राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त कर सकता है, जब वह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों को पूरा करे। इसके अंतर्गत पिछली विधान सभा या लोकसभा चुनावों में न्यूनतम वैध मत प्रतिशत प्राप्त करना या विधान सभा अथवा लोकसभा में निश्चित संख्या में सीटें जीतना अनिवार्य होता है। भारत निर्वाचन आयोग के पास यह अधिकार है कि वह निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को शीघ्र मान्यता देने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर सके।

पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल या तो हाल ही में पंजीकृत राजनीतिक दल होते हैं, या वे दल जो चुनावों में आवश्यक मत प्रतिशत या सीटें हासिल न कर पाने के कारण राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त नहीं कर सके हैं, अथवा वे दल जो पंजीकरण के बाद से अब तक किसी भी चुनाव में भाग ही नहीं ले पाए हैं। भले ही इन दलों को मान्यता प्राप्त दर्जा न मिला हो, लेकिन ये भारत की राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अक्सर किसी विशेष क्षेत्रीय हित या समूह की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि, इन दलों की वित्तीय गतिविधियों जैसे आय और व्यय में पारदर्शिता की कमी और निधियों के दुरुपयोग की आशंका के कारण समय-समय पर इनकी गतिविधियों पर नियामक एजेंसियों की निगरानी बनी रहती है।

गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को वे सभी सुविधाएँ प्राप्त नहीं होतीं जो मान्यता प्राप्त (राष्ट्रीय और क्षेत्रीय) दलों को मिलती हैं। इनमें शामिल हैं:

1. पार्टी द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को कोई विशेष **आरक्षित चुनाव चिन्ह** आवंटित नहीं किया जाता। इन्हें आयोग द्वारा जारी 'मुक्त प्रतीकों' की सूची में से चुनाव चिन्ह चुनना पड़ता है।
2. **मतदाता सूचियों की नि:शुल्क प्रतियों** के लिए पात्र नहीं होते।
3. **आकाशवाणी और दूरदर्शन** पर विधानसभा और आम चुनाव के दौरान नि:शुल्क प्रसारण की सुविधा नहीं मिलती।
4. **पार्टी कार्यालयों के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटन** का लाभ नहीं मिलता।

पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए राजनीतिक फंडिंग मुख्य रूप से व्यक्तियों और कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा दी गई स्वैच्छिक योगदान राशि से होती है, जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29बी के अंतर्गत मान्य है। विदेशी फंडिंग पर विदेशी अंशदान (नियमन) अधिनियम, 2010 के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। इन दलों को आयकर

अधिनियम, 1961 की धारा 13ए के तहत आयकर छूट का लाभ प्राप्त है, बशर्ते वे अपनी आयकर रिटर्न समय पर दाखिल करें और वर्ष में रु 20,000 से अधिक के सभी चंदों का विवरण भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को उपलब्ध कराएँ। हालांकि, कई पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल इन आवश्यकताओं का पालन नहीं करते, जिससे टैक्स चोरी और अवैध धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। उदाहरण स्वरूप, वित्तीय वर्ष 2019-20 में 219 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने रु 608 करोड़ की आयकर छूट का दावा किया, परंतु इनमें से 66 दलों ने अनिवार्य योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत ही नहीं की। यह भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के व्यापक उल्लंघन को दर्शाता है। कई पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की अनियमित वित्तीय रिपोर्टिंग और सीमित चुनावी भागीदारी को देखते हुए, निर्वाचन आयोग ने सख्ती करते हुए ऐसे नियमों का पालन न करने वाले दलों की सूची से नाम हटाने और कड़ी निगरानी के लिए विशेष अभियान चलाना शुरू कर दिया है।

वर्ष 2022 से 2024 के बीच, 3,260 से अधिक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने कुल रु 10,000 करोड़ से अधिक का चुनावी योगदान प्राप्त किया, जिससे इस धनराशि के 'काला धन' के रूप में दुरुपयोग की आशंका ने गंभीर रूप लिया। जांच में यह संकेत मिले हैं कि इस फंड का बड़ा हिस्सा जटिल बैंक खातों के नेटवर्क के ज़रिए शेल कंपनियों तक पहुँचाया जा रहा है, जो संभावित मनी लॉन्ड्रिंग की ओर इशारा करता है। वर्ष 2022 में भारत निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं के चलते 537 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द कर दिया। इनमें ऑडिटेड खाते, रु 20,000 से अधिक के चंदों की रिपोर्ट और चुनावी खर्च का ब्यौरा समय पर न देना प्रमुख कारण रहे। इसके अलावा, निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2023 में इन दलों के वित्तीय विवरणों की डिजिटल फाइलिंग को सुव्यवस्थित करने के लिए एक वेब पोर्टल भी शुरू किया, जिसके ज़रिए दलों को समय-समय पर रिपोर्ट दाखिल करने और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए स्मरण पत्र भी भेजे जा रहे हैं।

कई **पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल** केवल आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13ए के अंतर्गत मिलने वाली कर छूट का दुरुपयोग करने के उद्देश्य से अस्तित्व में होने का संदेह है, जबकि वे किसी भी प्रकार की चुनावी गतिविधियों में भाग नहीं लेते। भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2013 से 2016 के बीच मात्र **5% पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों** ने ही योगदान रिपोर्ट दाखिल की, जो इन दलों की लगातार अनदेखी और नियमों के उल्लंघन को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग इन दलों की लगातार निगरानी कर रहा है और नियमों का पालन न करने वाले दलों का पंजीकरण रद्द करने तथा वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की अनिवार्यता को और सख्ती से लागू करने की योजना बना रहा है।

भारत निर्वाचन आयोग ने **"राजनीतिक दलों के कोष और चुनावी व्यय में पारदर्शिता एवं जवाबदेही — गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने"** संबंधी दिशा-निर्देश 1 अक्टूबर, 2014 से लागू किए। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी **गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों** के लिए अनिवार्य है कि वे अपनी आवश्यक रिपोर्टें संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय में जमा करें। राज्य स्तर के **गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों** से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात, उनके **वार्षिक ऑडिट खातों की स्कैन की हुई प्रतियां**, **योगदान रिपोर्ट** तथा **चुनावी व्यय का विवरण** संबंधित राज्य के सीईओ की वेबसाइट पर रिपोर्ट प्राप्ति के 3 दिनों के भीतर अपलोड किया जाना अनिवार्य है, ताकि जनता उन्हें देख सके।

उपरोक्त संदर्भ में, **एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर)** द्वारा प्रस्तुत यह रिपोर्ट **वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट और योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करने की स्थिति का विश्लेषण** करती है। यह रिपोर्ट **पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की स्थिति** के साथ-साथ **वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान घोषित आय, व्यय और चंदे** का भी आकलन करती है। इससे पहले भी एडीआर द्वारा **पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की राजनीतिक वित्तीय घोषणाओं** पर कई रिपोर्ट जारी की जा चुकी हैं, जिन्हें **यहां देखा** जा सकता है।

यह उल्लेखनीय है कि **राजनीतिक दलों को आयकर विभाग में अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने** और **भारत निर्वाचन आयोग को रु 20,000 से अधिक प्राप्त हुए चंदों का विवरण प्रतिवर्ष प्रस्तुत करने** की शर्त पर **पूरी तरह से आयकर छूट** प्राप्त होती है। यदि कोई राजनीतिक दल यह घोषणा करता है कि उसे किसी भी दाता से रु 20,000 से अधिक की कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है, तब भी वह कर छूट का लाभ ले सकता है। इस प्रकार, **भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत कोई भी राजनीतिक दल**, चाहे वह मान्यता प्राप्त हो या गैर मान्यता प्राप्त, उपरोक्त दोनों शर्तों का पालन करते हुए योगदान एकत्र कर सकता है और आयकर छूट का लाभ उठा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा वार्षिक ऑडिट विवरण और योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करने की स्थिति

- यह रिपोर्ट **वित्त्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के 22 राज्यों में कुल 739 (कुल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का 26.74%) पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों** द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की स्थिति का विश्लेषण करती है, जिनकी ऑडिट या योगदान रिपोर्ट संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर उपलब्ध थी।
- विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि **कुल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का 73.26% या 2025 दलों की वार्षिक ऑडिट और योगदान रिपोर्ट वित्त्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।**
- **उत्तर प्रदेश** में सबसे अधिक संख्या में ऐसे **पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल** हैं, जिनकी रिपोर्टें उपलब्ध हैं, इसके बाद **दिल्ली** और **बिहार** का स्थान है, क्योंकि इन राज्यों में पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की संख्या सर्वाधिक है।
- वहीं, जिन राज्यों में सबसे अधिक संख्या में दलों की रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, उनमें **उत्तर प्रदेश**, **तमिलनाडु** और **दिल्ली** प्रमुख हैं।
- **शून्य रिपोर्टिंग वाले राज्य: पंजाब (73 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल)**, **उत्तराखंड (40)** और **गोवा (12)** ऐसे शीर्ष तीन राज्य हैं, जहां किसी भी पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की ऑडिट और योगदान रिपोर्ट आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। यह इन क्षेत्रों में नियमों की भारी अनदेखी और जानकारी न देने की स्थिति को दर्शाता है।

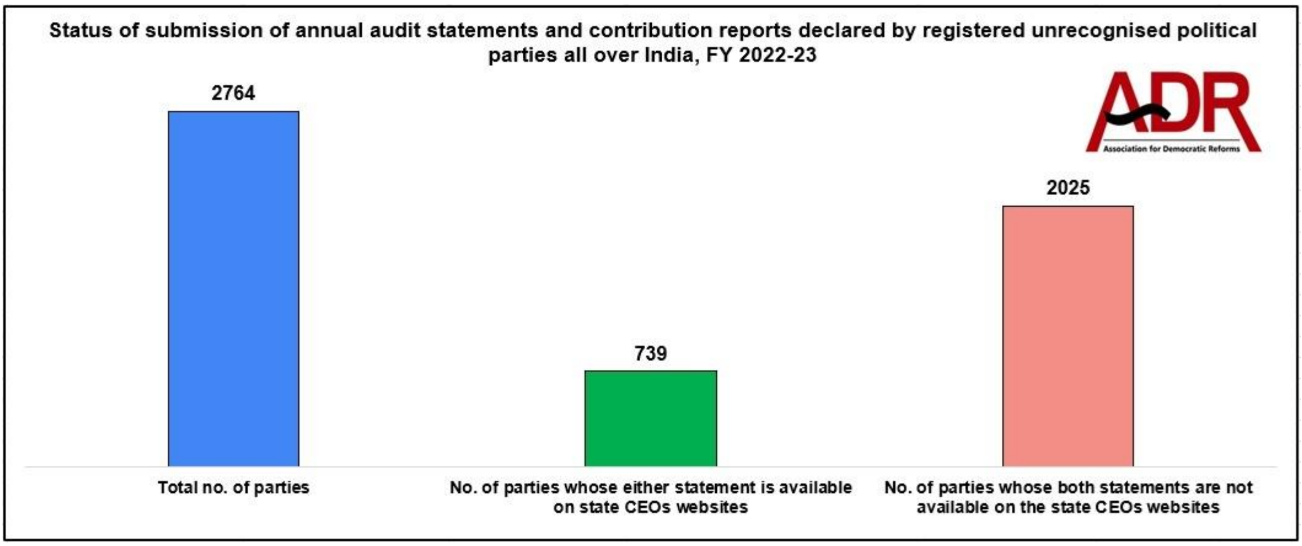

Status of submission of annual audit statements and contribution reports declared by registered unrecognised political parties all over India, FY 2022-23			
States	Total no. of parties	No. of parties whose either statement is available on state CEOs websites	No. of parties whose both statements are not available on the state CEOs websites
Uttar Pradesh	744	173	571
Delhi	240	72	168
Tamil Nadu	230	50	180
Maharashtra	216	55	161
Bihar	184	67	117
Andhra Pradesh	129	40	89
Madhya Pradesh	107	42	65
Haryana	102	25	77
Gujarat	95	36	59
Karnataka	92	36	56
Rajasthan	82	30	52
Telangana	78	32	46
Punjab	73	0	73
West Bengal	66	19	47
Kerala	51	12	39
Chhattisgarh	43	10	33
Uttarakhand	40	0	40
Odisha	38	10	28
Jharkhand	37	9	28
Jammu & Kashmir	34	13	21
Assam	15	3	12
Goa	12	0	12
Himachal Pradesh	9	3	6
Manipur	9	1	8
Sikkim	6	1	5
Meghalaya	5	0	5
Pondicherry	5	0	5
Chandigarh	4	0	4
Mizoram	4	0	4
Tripura	4	0	4

Status of submission of annual audit statements and contribution reports declared by registered unrecognised political parties all over India, FY 2022-23			
States	**Total no. of parties**	**No. of parties whose either statement is available on state CEOs websites**	**No. of parties whose both statements are not available on the state CEOs websites**
Andaman & Nicobar Islands	3	0	3
Nagaland	3	0	3
Arunachal Pradesh	2	0	2
Dadra & Nagar Haveli	2	0	2
Grand Total	**2764**	**739 (26.74%)**	**2025 (73.26%)**

- इस रिपोर्ट में विश्लेषित 739 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से केवल 501 दलों ने 20 राज्यों में दोनों ऑडिट रिपोर्ट और योगदान रिपोर्ट उपलब्ध कराई है। यह कुल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का मात्र **18.13%** है।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 20 राज्यों में 166 (6.01%) पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने केवल ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जबकि 18 राज्यों में 72 (2.60%) गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने केवल अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
- सबसे अधिक अनुपालन करने वाले राज्य हैं **गुजरात** (37.89%), **बिहार** (36.41%), **दिल्ली** (30%), **उत्तर प्रदेश** (23.25%) और **तमिलनाडु** (21.74%) I इन राज्यों में कुल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से उपरोक्त प्रतिशत के लिए रिपोर्ट या विवरण उपलब्ध हैं।
- **गुजरात** (30.53%), **दिल्ली** (21.67%) और **बिहार** (18.48%) में पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की दोनों रिपोर्टों की सार्वजनिक रूप से उपलब्धता के मामले में राष्ट्रीय औसत की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक अनुपालन देखने को मिलता है।

Top 10 State : Status of submission of Audit and Contributions Reports, Financial Year 2022-23

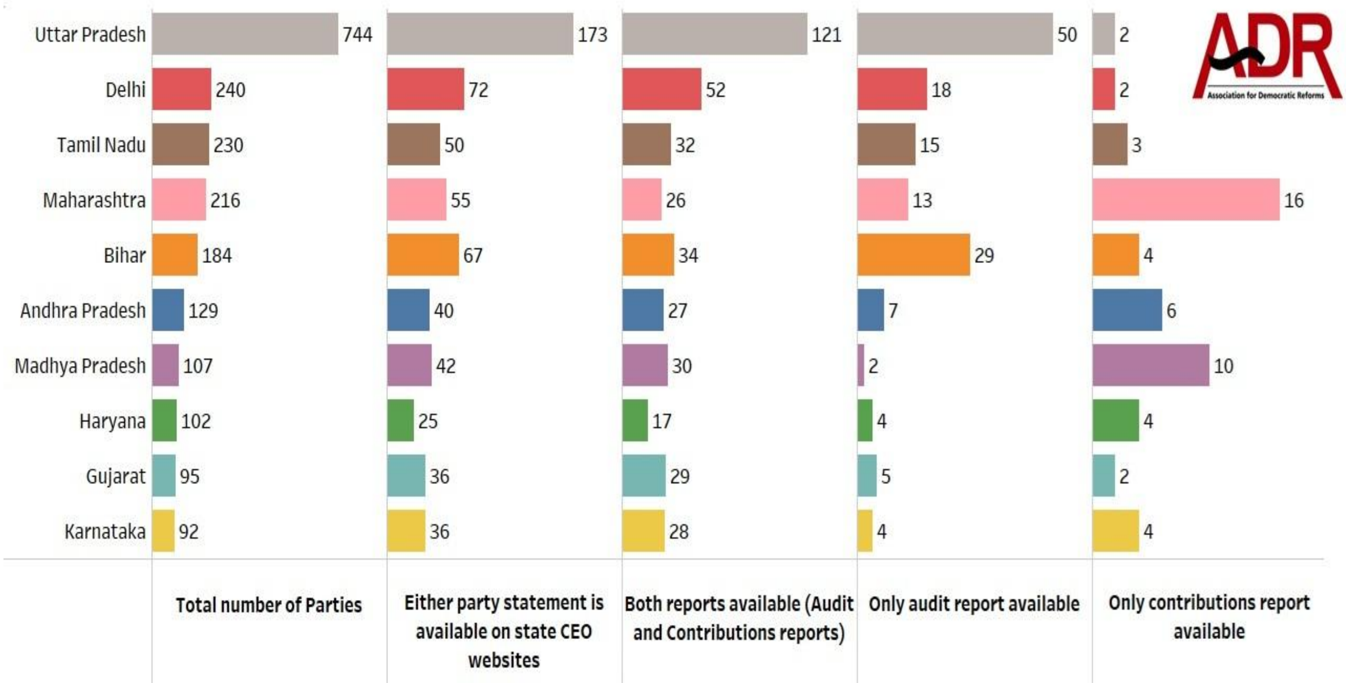

Status of submission of Audit and Contributions Reports, Financial Year 2022-23					
State	**Total number of Parties**	**Either party statement is available on state CEO websites**	**Both reports available (Audit and Contributions reports)**	**Only audit report available**	**Only contributions report available**
Uttar Pradesh	744	173	121	50	2
Delhi	240	72	52	18	2
Tamil Nadu	230	50	32	15	3
Maharashtra	216	55	26	13	16
Bihar	184	67	34	29	4
Andhra Pradesh	129	40	27	7	6
Madhya Pradesh	107	42	30	2	10
Haryana	102	25	17	4	4
Gujarat	95	36	29	5	2
Karnataka	92	36	28	4	4
Rajasthan	82	30	24	2	4
Telangana	78	32	27	2	3
Punjab	73	0	0	0	0
West Bengal	66	19	15	3	1
Kerala	51	12	10	2	0
Chhattisgarh	43	10	8	1	1
Uttarakhand	40	0	0	0	0
Odisha	38	10	8	1	1
Jharkhand	37	9	6	3	0
Jammu & Kashmir	34	13	4	1	8
Assam	15	3	0	3	0
Goa	12	0	0	0	0
Himachal Pradesh	9	3	2	0	1

Status of submission of Audit and Contributions Reports, Financial Year 2022-23					
State	Total number of Parties	Either party statement is available on state CEO websites	Both reports available (Audit and Contributions reports)	Only audit report available	Only contributions report available
Manipur	9	1	0	1	0
Sikkim	6	1	1	0	0
Meghalaya	5	0	0	0	0
Pondicherry	5	0	0	0	0
Chandigarh	4	0	0	0	0
Mizoram	4	0	0	0	0
Tripura	4	0	0	0	0
Andaman & Nicobar Islands	3	0	0	0	0
Nagaland	3	0	0	0	0
Arunachal Pradesh	2	0	0	0	0
Dadra & Nagar Haveli	2	0	0	0	0
Grand Total	**2764**	**739**	**501**	**166**	**72**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान शीर्ष 10 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा घोषित कुल आय, व्यय और दान का विवरण

- **शीर्ष 10 में से 5 दल (50%) गुजरात से हैं**, जो इस राज्य में अधिक आय वाले गैर मान्यता प्राप्त दलों का केंद्रीकरण दर्शाता है।
- गुजरात के दलों ने सामूहिक रूप से रु 1158.115 करोड़ की कुल आय घोषित की, जो शीर्ष 10 दलों की कुल आय का 70% से अधिक है। इनमें भारतीय नेशनल जनता दल ने रु 576.458 करोड़ की सर्वाधिक आय घोषित की।
- अधिकांश दलों ने अपनी घोषित आय के लगभग बराबर व्यय भी दर्शाया है, जैसे **भारतीय नेशनल जनता दल**, **न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी** आदि। इससे संकेत मिलता है कि ये दल अपनी जुटाई गई अधिकांश राशि चुनाव प्रचार या अन्य गतिविधियों में खर्च कर देते हैं।
- लगभग सभी दलों के लिए **दान की कुल राशि उनकी घोषित आय के बराबर या उससे अधिक है**, जिससे स्पष्ट होता है कि इन दलों की आय का प्रमुख या एकमात्र स्रोत दान ही है।
- **रु 20,000 से अधिक के दान का योगदान कुल दान में बड़ी हिस्सेदारी रखता है**, उदाहरण के लिए **न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी ने अपने कुल रु 407.45 करोड़ के दान में 100% बड़ी राशि (रु 20,000 से अधिक) के दान दर्शाए हैं।**
- **शीर्ष आय अर्जित करने वाले कई दल 2015 के बाद अस्तित्व में आए हैं**, जो यह दर्शाता है कि हाल के वर्षों में नए गैर मान्यता प्राप्त दल बड़ी तेजी से धन जुटाने में सक्षम हो रहे हैं। इनमें शामिल हैं **सत्यवादी रक्षक पार्टी (2022)**, **जन मन पार्टी (2021)**, **जन सेवक क्रांति पार्टी (2021)** और **न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी (2018)** ।

Top 10 unrecognized political parties that declared highest income during FY 2022-23 (in Rs cr)

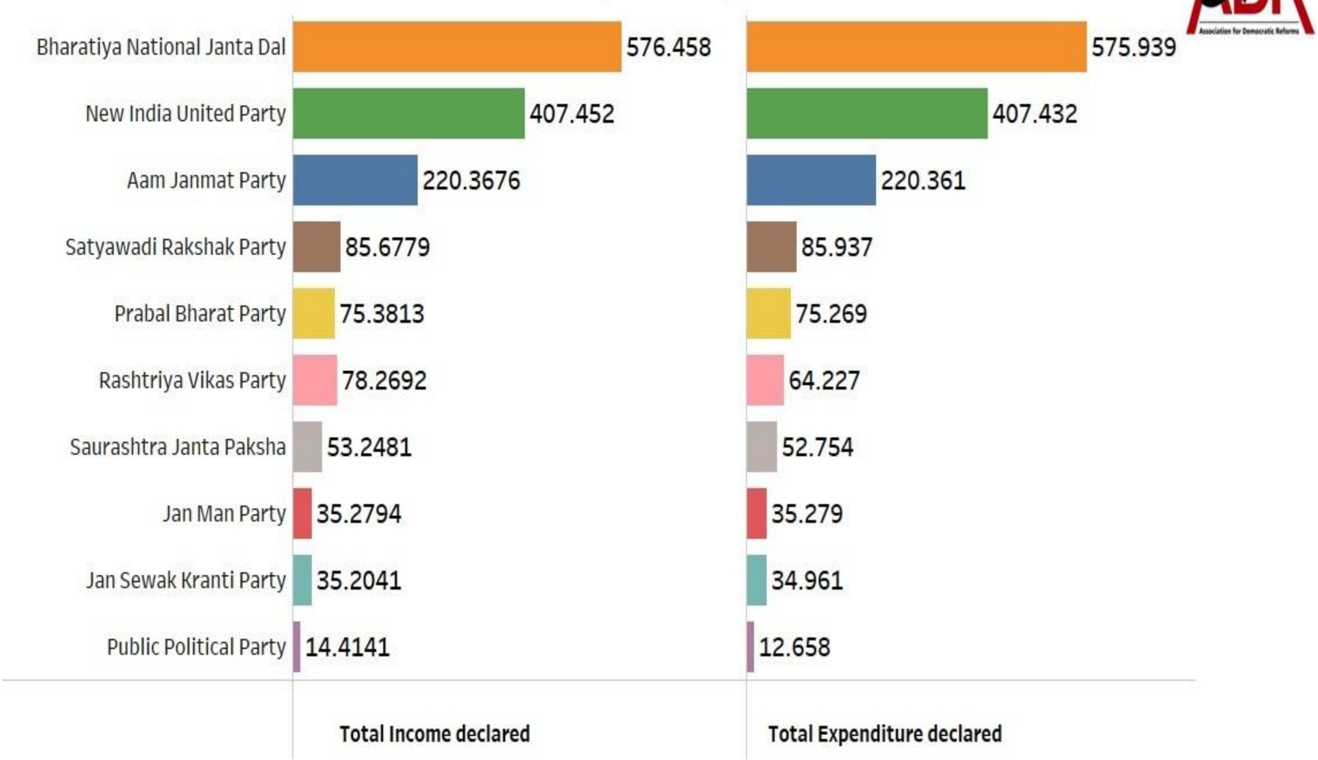

Top 10 unrecognized political parties that declared highest income during FY 2022-23 (in Rs cr)							
State	**Registered Unrecognised Political Party**	**Party formation year**	**Last Election Contested**	**Total Income**	**Total Expenditure**	**Total donations**	**Total donations (Above Rs 20,000)**
Gujarat	Bharatiya National Janta Dal	February 2009	**General Election to Loksabha 2024**	576.458	575.939	576.458	565.055
Gujarat	New India United Party	August 2018	Delhi Assembly Election 2025	407.452	407.432	407.452	407.452
Bihar	Aam Janmat Party	May 2020	Delhi Assembly Election 2025	220.3676	220.361	220.367	216.153
Gujarat	Satyawadi Rakshak Party	October 2022	**General Election to Loksabha 2024**	85.6779	85.937	85.677	27.882
Haryana	Rashtriya Vikas Party	December 2002	**General Election to Loksabha 2024**	78.2692	64.227	78.192	60.63
Bihar	Prabal Bharat Party	October 2019	**General Election to Loksabha 2024**	75.3813	75.269	75.374	65.476
Gujarat	Saurashtra Janta Paksha	January 2019	Gujarat General Legislative Election 2022	53.2481	52.754	53.248	53.212
Gujarat	Jan Man Party	February 2021	Gujarat General	35.2794	35.279	35.279	35.279

Top 10 unrecognized political parties that declared highest income during FY 2022-23 (in Rs cr)							
State	**Registered Unrecognised Political Party**	**Party formation year**	**Last Election Contested**	**Total Income**	**Total Expenditure**	**Total donations**	**Total donations (Above Rs 20,000)**
			Legislative Election 2022				
Haryana	Jan Sewak Kranti Party	September 2021	Haryana Legislative Assembly Election, 2024	35.2041	34.961	35.204	34.814
Delhi	Public Political Party	June 2011	**General Election to Loksabha 2024**	14.4141	12.658	14.409	13.992

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान शीर्ष 10 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा घोषित कुल आय का वर्षवार विवरण

- **भारतीय नेशनल जनता दल** ने वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच सबसे अधिक रु 957.4454 करोड़ (कुल आय का 31.76%) घोषित किया। इस दल की आय में विशेष रूप से **2021-22 और 2022-23 में उल्लेखनीय वृद्धि** दर्ज की गई।
- **न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी** की **2019-20 से 2021-22 तक की ऑडिट रिपोर्ट आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है।** हालांकि, इस दल ने **2022-23 में रु 407.452 करोड़ की आय घोषित की**। इसके बाद **2023-24 में इसकी घोषित आय में भारी गिरावट आई**, और यह **रु 200.6553 करोड़** रह गई, जो पार्टी द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार है।
- **सत्यवादी रक्षक पार्टी** ने रु 416.2337 करोड़ की कुल आय घोषित की, जिसमें **2022-23 में रु 85.6779 करोड़ और 2023-24 में रु 330.5558 करोड़** की तीव्र वृद्धि दर्ज की गई।
- **केवल गुजरात आधारित दलों की घोषित कुल आय शीर्ष 10 दलों की कुल आय का 73% से अधिक** है।
- **राष्ट्रीय विकास पार्टी** और **पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी** जैसे कुछ दलों ने **2020-21 से 2023-24 तक अपनी आय में तुलनात्मक रूप से निरंतर वृद्धि दर्ज की** है।
- कुछ राजनीतिक दलों की आय पहले कुछ वर्षों तक बहुत कम या ना के बराबर दिखाई देती है, लेकिन फिर एक या दो वर्षों में अचानक काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे, आम जनमत पार्टी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में केवल **रु 8,000** की आय दिखाई, जो बढ़कर 2022-23 में **रु 220.36 करोड़** हो गई। इसी तरह, सौराष्ट्र जनता पक्ष ने लगातार दो वर्षों तक कोई आय नहीं दिखाई, लेकिन फिर एक साल में ही **रु 131.31 करोड़** की आय दर्ज की।

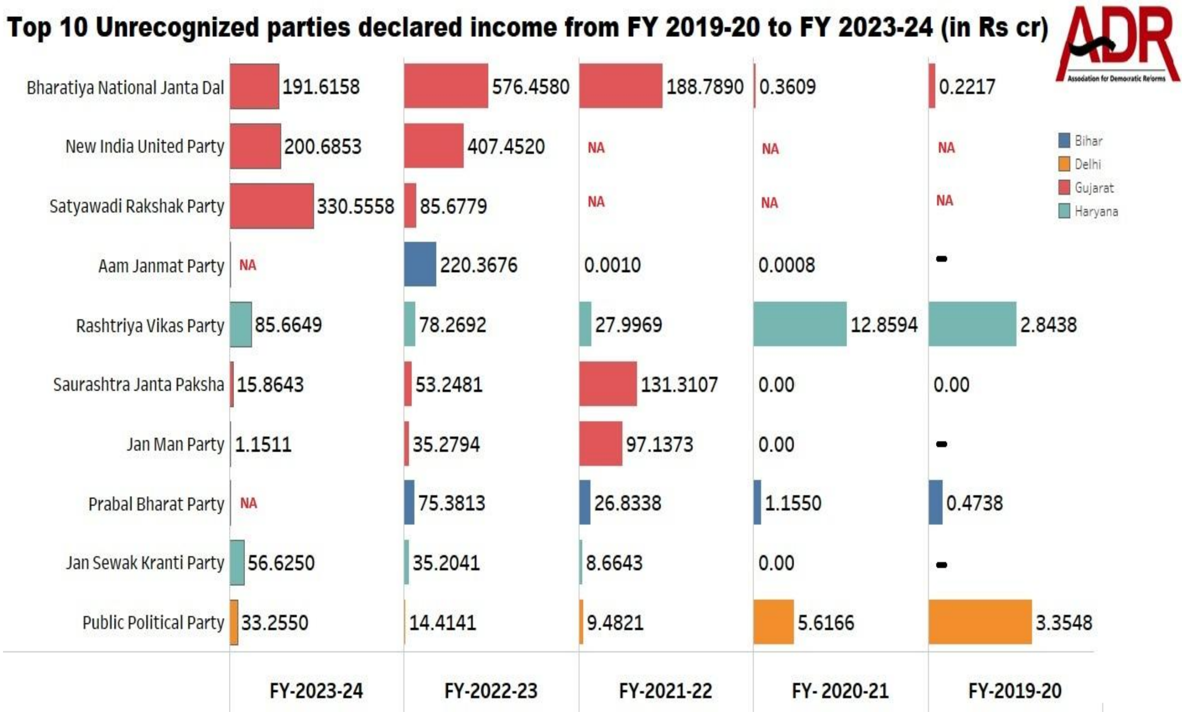

Top 10 Unrecognized parties declared income from FY 2019-20 to FY 2023-24 (in Rs cr)							
State	**Unrecognized Political Party**	**FY 2019-20**	**FY 2020-21**	**FY 2021-22**	**FY 2022-23**	**FY 2023-24**	**Total**
Gujarat	Bharatiya National Janta Dal	0.2217	0.3609	188.789	576.458	191.6158	**Rs 957.4454 cr**
Gujarat	New India United Party	**NA**	**NA**	**NA**	407.452	200.6853	**Rs 608.1373 cr**
Gujarat	Satyawadi Rakshak Party	**NA**	**NA**	**NA**	85.6779	330.5558	**Rs 416.2337 cr**
Bihar	Aam Janmat Party	-	0.0008	0.00098	220.3676	**NA**	**Rs 220.3694 cr**
Haryana	Rashtriya Vikas Party	2.8438	12.8594	27.9969	78.2692	85.6649	**Rs 207.6342 cr**
Gujarat	Saurashtra Janta Paksha	0	0	131.3107	53.2481	15.8643	**Rs 200.4231 cr**
Gujarat	Jan Man Party	-	0	97.1373	35.2794	1.1511	**Rs 133.5678 cr**
Bihar	Prabal Bharat Party	0.4738	1.155	26.8338	75.3813	**NA**	**Rs 103.8439 cr**
Haryana	Jan Sewak Kranti Party	-	0	8.6643	35.2041	56.625	**Rs 100.4934 cr**
Delhi	Public Political Party	3.3548	5.6166	9.4821	14.4141	33.255	**Rs 66.1226 cr**
Total Income declared by top 10 Unrecognized parties		**Rs 6.8941 cr**	**Rs 19.9927 cr**	**Rs 490.2151 cr**	**Rs 1581.7517 cr**	**Rs 915.4172 cr**	**Rs 3014.2708 cr**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान शीर्ष 10 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा घोषित कुल आय, व्यय और दान की तुलना

- राजनीतिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के मामले में पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से बहुत पीछे नहीं हैं। अधिकांश मामलों में केवल शीर्ष 10 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की आय और दान की राशि राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों के बराबर है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु 20,000 से अधिक

के दान की कुल राशि शीर्ष 10 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों से अधिक घोषित की गई।

- वित्तीय वर्ष 2022-23 में शीर्ष 10 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल ने **रु 1581.7517 करोड़** की कुल आय और **रु 1581.66 करोड़** का कुल दान घोषित किया। यानी, **99.99%** आय का स्रोत दान ही था।
- इन दलों को मिले कुल दान में से **रु 1479.942 करोड़** (93.56%) रु 20,000 से अधिक के दान से आए।
- शीर्ष 10 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल ने **रु 1564.817 करोड़** का कुल व्यय घोषित किया, जो उनकी आय का लगभग पूरा हिस्सा है। इससे संकेत मिलता है कि ये दल अपनी जुटाई गई अधिकांश राशि खर्च कर देते हैं।
- राष्ट्रीय दलों ने रु 20,000 से अधिक के बड़े दाताओं से केवल **33%** दान प्राप्त किया, जबकि शीर्ष 10 गैर मान्यता प्राप्त दलों को **93%** दान बड़े दाताओं से प्राप्त हुआ। यह भारी अंतर इस ओर संकेत करता है कि या तो गैर मान्यता प्राप्त दलों का बड़े दाताओं पर अधिक निर्भर रहना या वित्तीय रिपोर्टिंग की अलग-अलग पद्धतियों का परिणाम हो सकता है।
- क्षेत्रीय (राज्य स्तरीय) दलों में रु 20,000 से अधिक के दान का हिस्सा सबसे कम (14%) दर्ज किया गया।

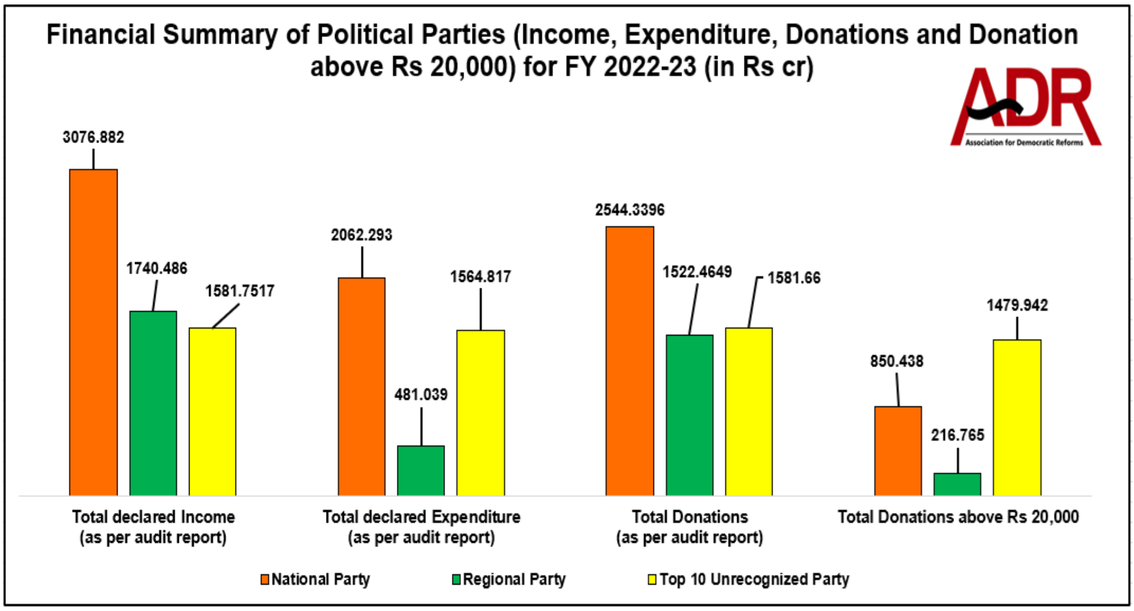

Financial Summary of Political Parties (Income, Expenditure, Donations and Donation above Rs 20,000) for FY 2022-23 (in Rs cr)				
Party Type	**Total declared Income (as per audit report)**	**Total declared Expenditure (as per audit report)**	**Total Donations (as per audit report)**	**Total Donations above Rs 20,000**
National Party	3076.882	2062.293	2544.3396	850.438
Regional Party	1740.486	481.039	1522.4649	216.765
Top 10 Unrecognized Party	1581.7517	1564.817	1581.66	1479.942

एडीआर के अवलोकन

1. **पारदर्शिता में भारी कमी**: कुल **73.26% पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों** की कोई भी रिपोर्ट (ऑडिट या योगदान रिपोर्ट) ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है, जो इन दलों की वित्तीय पारदर्शिता में गंभीर कमी की ओर संकेत करता है।
2. **कुल अनुपालन दर कम**: केवल **18.13% दलों** ने दोनों अनिवार्य रिपोर्ट (ऑडिट और योगदान) प्रस्तुत की हैं।
3. **रिपोर्टिंग में एकरूपता का अभाव**: राज्यों के अनुसार रिपोर्टिंग की स्थिति में भारी भिन्नता पाई गई, जिससे यह संकेत मिलता है कि विभिन्न राज्यों में नियमों के पालन, प्रशासनिक क्षमता या पालन करने की इच्छा में अंतर है। हालाँकि ऑडिट और चंदा रिपोर्टों के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप उपलब्ध हैं, लेकिन कई राजनीतिक दल इन प्रारूपों का पालन करने में विफल रहते हैं।
4. **योगदान और व्यय का स्वरूप**: गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत घोषणाओं से स्पष्ट है कि इन दलों ने बड़ी संख्या में चंदे प्राप्त किए, जिनमें अधिकतर चंदे बड़े दाताओं से मिले और लगभग पूरी राशि व्यय कर दी गई।
5. **घोषित आय में भारी बृद्धि**: **वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24** के बीच **पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों** की घोषित आय में नाटकीय बृद्धि देखी गई। **वित्त वर्ष 2021-22 में रु 490.2151 करोड़** से बढ़कर **2022-23 में 223% वृद्धि के साथ रु 1581.7517 करोड़** तक पहुँच गई। **2023-24 में भी रु 915.4172 करोड़** की आय दर्ज की गई। यह हाल के वर्षों में राजनीतिक योगदान जुटाने की गतिविधियों में तेजी का संकेत देता है, संभवतः राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और आगामी **लोकसभा 2024 चुनाव** के कारण। इन अचानक हुई वृद्धियाँ ने फंड के स्रोतों और दस्तावेजीकरण पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं।
6. इस रिपोर्ट में विश्लेषित **739 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों** में से **38 दलों** ने **वित्त वर्ष 2022-23 में रु 1 करोड़ से अधिक की आय** घोषित की |
7. **उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी** की वेबसाइट की समीक्षा में पाया गया कि **वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केवल एक समेकित पीडीएफ दस्तावेज** अपलोड किया गया है, जिसमें **39 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों** की सूची है। इनमें से केवल **6 दलों की ऑडिट रिपोर्ट** और **5 दलों के योगदान विवरण** उपलब्ध हैं। हालांकि, इन दलों की अलग-अलग पार्टीवार रिपोर्ट वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके कारण इन दलों का वित्तीय डेटा इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जा सका।
8. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए यह पाया गया है कि निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित **प्रदेशों पंजाब, चंडीगढ़, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, और दादरा एवं नगर हवेली** के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइटों पर पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की ऑडिट रिपोर्ट, चंदा रिपोर्ट और चुनाव व्यय रिपोर्ट से संबंधित कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है।
9. इस रिपोर्ट के तैयार किए जाने के समय, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की रिपोर्टें और विवरण **मेघालय** एवं **पुडुचेरी** की मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइटों पर पिछले चार वर्षों से और **गोवा** की वेबसाइट पर पिछले पांच वर्षों से उपलब्ध नहीं हैं।

10. कुल 2,764 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से लगभग 32 दल ऐसे हैं जिन्होंने वर्तमान राज्य विधानसभाओं और लोकसभा में सीटें जीती हैं। इन दलों में शामिल हैं — कल्याण राज्य प्रगति पक्ष, सर्वोदय कर्नाटका पक्ष, वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, कुकी पीपल्स अलायंस, जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक), निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, कांग्रेस (सेक्युलर), इंडियन नेशनल लीग, जनाधिपत्य केरला कांग्रेस, केरला कांग्रेस, केरला कांग्रेस (बी), केरला कांग्रेस (जैकब), लोकतांत्रिक जनता दल, नेशनल सेक्युलर कॉन्फ्रेंस, रिवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, विदुथलाई चिरुथाइगल काची, मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर), आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम), जम्मू-कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, किसान और मजदूर पार्टी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय युवा स्वाभिमान पार्टी, राष्ट्रीय समाज पक्ष, राजर्षि शाहू विकास अगाड़ी, जन सुराज्य शक्ति और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले)। इन **32 दलों में** से केवल **13 दलों** की ऑडिट रिपोर्ट और योगदान विवरण वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उनके संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। **16 दलों** की न तो ऑडिट रिपोर्ट और न ही योगदान विवरण इस अवधि के लिए उपलब्ध हैं। एक दल की ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से मौजूद नहीं है, जबकि दो दल वर्ष 2023 और 2024 में पंजीकृत हुए हैं।
11. उन गैर मान्यता प्राप्त दलों में से जिन्होंने अपने-अपने राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाग लिया, आठ दलों के उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल रहे। इनमें शामिल हैं **अपना दल (सोनेलाल)**, **कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन**, **जोरम पीपल्स मूवमेंट**, **टिपरा मोथा पार्टी**, **यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल**, **जनसेना पार्टी**, **गोंडवाना गणतंत्र पार्टी** और **रिवोल्यूशनरी गोवांस पार्टी**। इनकी सफलता के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग ने इन्हें क्षेत्रीय दल का दर्जा प्रदान किया है। इसलिए, इन दलों का वित्तीय विवरण इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी दल को क्षेत्रीय दल का दर्जा उसके राज्य विधानसभा या लोकसभा चुनावों में प्राप्त वोट प्रतिशत और जीती गई सीटों की संख्या के आधार पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार दिया जाता है।

एडीआर की सिफारिशें

1. 1999 में, भारत निर्वाचन आयोग ने उन 200 से अधिक राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किए थे, जो 1995 तक पंजीकृत तो थे लेकिन किसी भी चुनाव में भाग नहीं लिया था। जिन दलों को भेजे गए नोटिस वापस लौट आए या जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उन्हें केवल पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया गया। ऐसे कुल 150 दल थे। इसी तरह, 2016 में 255 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को सूची से हटा दिया गया, क्योंकि वे अब अस्तित्व में नहीं थे या सक्रिय नहीं थे। 2022 में निर्वाचन आयोग ने 537 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को गैर-अनुपालन (जैसे रु 20,000 से अधिक के दानों का विवरण, ऑडिट रिपोर्ट या चुनावी व्यय विवरण न देने) के कारण सूची से हटा दिया। यह प्रक्रिया लगातार जारी रहनी चाहिए, ताकि वे सभी राजनीतिक दल, जो 5 वर्षों तक किसी भी चुनाव में भाग नहीं लेते, उन्हें हटाया जा सके और साथ ही पंजीकरण प्रक्रिया को और अधिक सख्त बनाया जा सके।

2. राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए, ताकि गैर मान्यता प्राप्त दलों द्वारा ऑडिट रिपोर्ट और चंदा रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण की स्थिति की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहे। पारदर्शिता संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, इन दलों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों/विवरणों की सूची नियत तारीख के 24 घंटे के भीतर सीईओ की वेबसाइट पर अपलोड की जानी चाहिए। इसके बाद भी जब-जब किसी पार्टी की रिपोर्ट प्राप्त हो, उसकी स्थिति 3 दिनों के भीतर वेबसाइट पर अपडेट की जानी चाहिए। छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, झारखंड, कर्नाटक, असम, केरल और गुजरात को छोड़कर किसी भी राज्य की सीईओ वेबसाइट यह विवरण सार्वजनिक नहीं कर रही। अन्य राज्यों की सीईओ वेबसाइट को भी इन्हीं राज्यों का उदाहरण अपनाना चाहिए और दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की स्थिति की जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी चाहिए।
3. राजनीतिक दलों के पंजीकरण का नियमन अत्यंत आवश्यक है, ताकि **धनशोधन (money laundering), भ्रष्ट चुनावी प्रथाओं और धनबल के दुरुपयोग** पर अंकुश लगाया जा सके। इसलिए, निर्वाचन आयोग को न केवल **नए दलों के पंजीकरण के लिए सख्त मानदंड लागू करने चाहिए**, बल्कि जो दल नियमों का पालन नहीं करते, उन्हें सूची से हटाने की कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए।
4. **गैर मान्यता प्राप्त दलों की आयकर विभाग द्वारा सख्त जांच (IT scrutiny) की जानी चाहिए**, खासकर उन दलों की जो चुनावों में भाग नहीं लेते लेकिन स्वैच्छिक चंदे की घोषणा करते हैं।
5. **अधिक निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना चाहिए**, विशेष रूप से उन गैर मान्यता प्राप्त दलों के लिए जिन्हें बड़े दाताओं से भारी चंदे/दान प्राप्त होते हैं।

अस्वीकरण

इस रिपोर्ट में उपयोग किए गए डाटा का स्रोत पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) और भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को प्रस्तुत की गई ***ऑडिट रिपोर्ट एवं योगदान रिपोर्ट*** हैं। एडीआर किसी भी जानकारी को अपने रिपोर्ट में तब तक नहीं जोड़ता या घटाता है जब तक चुनाव आयोग डाटा में बदलाव नहीं करता | विशेष रूप से, किसी अन्य स्त्रोत से किसी भी असत्यापित जानकारी का उपयोग नहीं किया जाता है | इन आंकड़ों को myneta.info/party और संबंधित राज्यों के सीईओ की वेबसाइट्स से देखा जा सकता है। डाटा को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं और यह जानकारी राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत विवरणों में उल्लेखित आकड़ों के अनुरूप है । यदि इस रिपोर्ट में दी गयी जानकारी और दलों के विवरणों में घोषित जानकारी में अंतर् पाया जाता है तो ऐसे मामलों में राजनीतिक दलों द्वारा दी गई जानकारी ही सही मानी जानी चाहिए | एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), नेशनल इलेक्शन वॉच (एनईडब्लू) और उसके स्वयंसेवक इसके प्रकाशन से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होने वाली किसी भी क्षति के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होंगे |

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एडीआर, भारत के चुनाव आयोग और सबंधित राज्य के मुख्य कार्यकारी अधिकारीयों के साथ प्रस्तुत राजनीतिक दलों के ऑडिट, योगदान रिपोर्ट और चुनाव खर्च विवरण के विश्लेषण और प्रसार में बहुत अत्यधिक

सावधानी बरतता है | इस तरह की जानकारी का उद्देश्य केवल ***हमारी चुनावी और राजनीतिक प्रक्रिया में धन के बढ़ते उपयोग को उजागर करना है ताकि पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन की प्रणाली को सुगम बनाया जा सके और मतदाताओं को एक सूचित विकल्प बनाने में सक्षम बनाया जा सके***| इसलिए, यह अपेक्षा की जाती है कि इस रिपोर्ट का उपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति एडीआर द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा का उपयोग करते समय उचित और अत्यधिक सावधानी बरतेगा | एडीआर किसी भी गलत तरीके से निपटने, विसंगति, समझने में असमर्थता, गलत व्याख्या या हेरफेर, डाटा को इस तरह से विकृत करने के लिए जिम्मेदार नहीं है ताकि किसी विशेष राजनीतिक दल या राजनेता या उम्मीदवार को लाभ या लक्षित किया जा सके |

सम्पर्क विवरण

Media and Journalist Helpline +91 80103 94248 Email: adr@adrindia.org https://adrindia.org/about-adr/state-coordinators	**Maj. Gen Anil Verma (Retd.)** Head, NEW & ADR anilverma@adrindia.org	**Prof Jagdeep Chhokar** IIM Ahmedabad (Retd.) Founder, NEW & ADR jchhokar@gmail.com	**Prof Trilochan Sastry** IIM Bangalore (Retd.) Founder, NEW & ADR tsastry@gmail.com